Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No.91/2026, Korha P.S. Case No.- 310/2025
Baiju @ Chhotu Kumar and 6 others VS. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-91/2026

Korha P.S. Case No.- 310/2025

1. बैजु उर्फ छोटु कुमार पिता उपेन्द्र व्याधा, उ0त0 22 वर्ष,
2. पमिया देवी उर्फ पामिया रानी पति उपेन्द्र व्याधा, उ0त0 55 वर्ष,
3. मंगली देवी पिता उपेन्द्र व्याधा, उ0त0 25 वर्ष,
4. बबली देवी पिता उपेन्द्र व्याधा, उ0त0 28 वर्ष,
5. अनिता देवी पिता उपेन्द्र व्याधा, उ0त0 35 वर्ष,
   सभी निवासी साकिन– डीवानडी, थाना– कोढा, जिला कटिहार।
6. बादल मंडल पिता जिवछा मंडल, उ0त0 26 वर्ष,
   साकिन– हरिगंज कोरिया टोला, थाना– नगर, जिला– कटिहार।
7. मुरारी व्याधारा पिता लाछो ब्याधा, उ0त0 45 वर्ष,
   साकिन– बसगढा, थाना– कोढा, जिला–कटिहार।...आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री...................... सरदार यशवंत सिंह।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ....सुनील कुमार यादव।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 04.04.2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 20.01.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि परिवादिनी पूनम कुमारी द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र संख्या– 1627/2025 के आधार पर दर्ज कोढा थाना कांड संख्या– 310/2025 दिनांक 23.12.2025 के अनुसार यह है कि दिनांक 11.08.2025 को समय दस बजे दिन को सभी अभियुक्तगण मिलकर परिवादिनी के आंगन में घुंसकर परिवादिनी एवं उसके पति के साथ मारपीट किया। इसी कम में अभियुक्त बैजु उर्फ छोटु परिवादिनी के पति को पकड़ लिया तथा अभियुक्त बादल मंडल अस्तुरा से सूचिका के पति के गले में वार किया, जिससे गला कट गया। वे लोग हल्ला होने पर भाग गये। ग्रामीणों के सहयोग से परिवादिनी अपने पति को बेहोशी के हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोढा कटिहार लाया जहां ईलाज हुआ और थाना मे आवेदन दिया। पुनः दिनांक 13.08.2025 का समय करीब एक बजे दिन में सभी अभियुक्गण हरवे हथियार के साथ लेकर परिवादिनी के आंगन में घुंसकर परिवादिनी एवं उसके पति को भद्दी–भ्दी गाली देने लगे। विरोध करने पर अभियुक्त पमिया देवी आदेश दिया कि आज जान मार कर फेंक दो। पिछले दिन बच गया था। इतना सुनते ही सभी अभियुक्तगण मिलकर परिवादिनी तथा उसके पति को मारने लगे। अभियुक्त मुरारी व्याधा परिवादिनी का बाल पकड़ कर जमीन में गिरा दिया, जिससे वह अर्द्धनग्न हो गई तथा अभियुक्त बैजु उर्फ छोटू कुमार एवं बादल मंडल जान मारने के नियत से लोहे के रॉड से उनके पति के माथे पर मारा जो उसके पति के मुंह में लगा तथा दोनों बार–बार चेहरा में फाईट मारा, जिससे परिवादिनी के पति के मुंह से खून बहने लगा तथा वह बेहोश होकर जमीन में गिर गया, बाकि अभियुक्तगण घर का सामान तोड़–फोड़ दिया तथा घर के बक्से से अभियुक्त मंगली देवी एवं बबली देवी ने तीस हजार रूपया निकाल लिया।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण को परेशान करने के लिए विद्वेषपूर्ण आशय से मनगढंत कहानी के आधार पर यह केस किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा एवं बनावटी है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका पूनम कुमारी द्वारा दाखिल परिवादपत्र संख्या– 1627/2025 दिनांक 25.11.2025 के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध कोढ़ा थाना कांड संख्या– 310/2025 दिनांक 23.12.2025 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126(2), 115(2), 117(2), 74, 109(1), 303(2), 305(a), 352, 351, 2(3) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 19, 20, 27, 28 में साक्षियों ने परिवादपत्र/ प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। आवेदकगण पर आरोप है कि परमेश्वर कुमार का छोटा भाई छोटु ब्याधा ने गाड़ी खरीदने के लिए सूचिका के पति से पैसे की मांग किया, जिस पर सूचिका के पति द्वारा जमीन खरीदने की बात कहकर पैसा देने से इन्कार किये जाने पर छोटु ब्याधा उसे गाली–गलौज करने लगा, जिसका विरोध परमेश्वर की बहन मंगली, अनिता तथा उसकी मॉ पमिया देवी भी करते हुए वहां पर आ गयी तथा आवेदकगण ने मिलकर गाली–गलौज किया। छोटु ब्याधा एवं बादल मंडल ने परमेश्वर कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दिया। बादल मंडल ने परमेश्वर मंडल को पीछे से पकड़ लिया और छोटु ब्याधा ने उस पर अस्तुरा चला दिया जो उसके गले पर लगा, जिससे खून बहने लगा, जिसका ईलाज कोढ़ा सरकार अस्पताल में हुआ। इसके बाद पुनः दिनांक 13.08.2025 को छोटु ब्याधा एवं बादल मंडल ने सूचिका के घर में जबरन घुंसकर सूचिका के पति को बाहर निकालकर बेरहमी से मारपीट किया। काड दैनिकी में अभियुक्तों के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है। उभय पक्षों के बीच में यह घटना अभियुक्त ब्याधा मंडल द्वारा पैसे की मांग किये जाने तथा सूचिका के पति द्वारा पैसा देने से इन्कार किये जाने पर घटित हुई है। उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित तथा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा दाखिल किया गया है, जिससे विदित है कि घटना स्थल पर कोई शांतिभंग की आशंका नहीं है तथा साक्ष्या अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना भी नहीं है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उभय पक्षों के बीच हुए संधि को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचनपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	04-04-2026
Date of reserving order	04-04-2026
Uploading Date	04-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)